244 10 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के सशक्तिकरण पर विशेषज्ञों की तदर्थ समिति की सिफारिशें– केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों और कार्यकारी निदेशकों के विदेश दौरों से संबंधित दिशा–निर्देश।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 13.8.99 के का.ज्ञा. सं. 2(41)/93–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XI का उल्लेख करने का निदेश हुआ है जिसमें यह विनिर्धारित किया गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों और अंशकालिक के साथ ही पूर्णकालिक निदेशकों के विदेश दौरों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। इन प्रावधानों में 5 अगस्त, 2005 के का.ज्ञा. सं. 18(24)/2003 जीएम–जीएल, 64/65/66 के जरिए और अधिक ढील दी गई है कि नवरत्न, मिनीरत्न और लाभ कमानेवाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कार्यकारी निदेशकों के 5 दिन तक के आपात विदेश दौरे का अनुमोदन करने का अधिकार होगा।

2. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के सशक्तिकरण पर विशेषज्ञों की तदर्थ समिति ने सिफारिश की है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा संबंधी वित्तीय खर्च की सीमाओं सहित विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देश होने चाहिएं और निदेशक मंडल द्वारा बनाई गए वृहद दिशा–निर्देश होने चाहिए और यदि इससे विचलन नहीं होता तो अनुमोदन के लिए सरकार के पास भेजना आवश्यक नहीं होगा।

3. सीपीएसई के बोर्ड स्तरीय कार्यकारी अधिकारियों के विदेश दौरों के मुद्दे पर विशेषज्ञों के तदर्थ समूह (एजीई) की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि लोक उद्यम विभाग बोर्ड स्तर के अधिकारियों की विदेश यात्रा के लिए केवल व्यापक सिद्धांत बनाएगा। संबंधित सीपीएसई का निदेशक मंडल, डीपीई द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के भीतर अपनी व्यापारिक की जरूरतों के अनुसार दिशानिर्देश बनाएगा और अपने उनके प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से अनुमोदन प्राप्त करेगा। इसके अनुसरण में, सीपीएसई के कार्यकारी अधिकारियों और कार्यकारी निदेशकों के विदेश दौरों के संबंध में निम्न व्यापक दिशा–निर्देश मुख्य निर्धारित किए गए हैं:–

3.1 नवरत्न, मिनीरत्न और लाभ कमानेवाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में, जो वेतन/पारिश्रमिक आदि के भुगतान के लिए बजटीय सहायता पर निर्भर नहीं हैं, प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव के पूर्व अनुमोदन से मुख्य कार्यकारी अधिकारी को विदेश दौरे की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों को विदेश दौरों की अनुमति प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन से दी जा सकती है।

3.2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्यमों के संबंध में जो रोगग्रस्त हैं और/अथवा हानि उठा रहे हैं अथवा जिन्होंने विगत तीन वर्षों में किसी भी वर्ष वेतन/पारिश्रमिक के लिए बजटीय सहायता ली है अथवा जिन्हें बीआईएफआर या बीआरपीएसई के संदर्भित किया गया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ ही कार्यकारी निदेशक के विदेश दौरे के लिए प्रशासनिक मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

3.3 आमतौर पर एक वर्ष में किसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी निदेशक 6 (छह) से अधिक विदेश दौरे नहीं करने चाहिएं। यदि व्यापार की प्रकृति की दृष्टि से अधिक दौरे करने की जरूरत है, पूरे वर्ष के लिए दौरों का कैलेंडर पहले से तैयार कर लेना चाहिए और दौरों की प्राथमिकता निर्धारित करनी चाहिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी निदेशक द्वारा 6 (छह) से अधिक विदेश दौरे के प्रस्तावों के लिए, विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और इन दौरों की अनुमति प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में सचिव के पूर्व अनुमोदन से विशेष मामलों में ही दी जाएगी।

3.4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी निदेशक को, संबंधित सीपीएसई में काम करने की अनिवार्यता के अध्यधीन अधीन निजी कारणों से विदेश में डयूटी की वास्तविक अवधि (भारत से प्रतिनियुक्ति वाले देश में जाने और वापए आने एवं अनिवार्य ठहराव की समयावधि को छोड़कर) के 50% अथवा एक पखवाड़े से, जो भी कम हो, के लिए छुट्टी प्रदान की जा सकती है। अवकाश की स्वीकृति के दौरे पर जाने से पहले लेनी होगी। ऐसे मामलों में निर्णय प्रशासनिक मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से लिया जाएगा जिनमें उल्लिखित सीमाओं से अधिक छुट्टियां प्रदान करना शामिल है।

3.5 अनुसूची–क कंपनियां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान वेतन और पारिश्रमिक के लिए बजटीय सहायता नहीं ली है और जो रोगग्रस्त हैं और/अथवा हानि उठा रहे हैं और जिन्हें जिन्हें बीआईएफआर या बीआरपीएसई को संदर्भित किया गया है, विदेश जाते समय प्रथम श्रेणी में सफर कर सकते हैं। हालांकि, यह उम्मीद है कि सर्वाधिक मितव्ययता बरती जाएगी। प्रथम श्रेणी के लिए पात्र होने पर भी प्रथम श्रेणी से यात्रा से बचा जाना चाहिए जब तक यह निहायत जरूरी न हो। बोर्ड स्तरीय कार्यकारी अधिकारी हवाई यात्रा की विभिन्न श्रेणियों के पात्र होंगे जो कंपनी की श्रेणी पर निर्भर करता है जिसमें वह काम करते हैं लेकिन उन्हें प्रोटोकॉल अथवा किसी अन्य कारण से उनकी पात्रता से इतर श्रेणी से सफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां तक संभव हो, आधुनिक तकनीक जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करने के प्रयास किए जाने चाहिए और विदेश दौरे नितांत आवश्यक होने पर ही किए जाने चाहिएं।

4. निदेशक मंडल उपर्युक्त सिद्धांतों के मद्देनजर, प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन से अपनी व्यासायिक जरूरतों के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कार्यकारी निदेशकों के विदेशी दौरों के लिए दिशानिर्देश बना सकता है। प्रशासनिक मंत्रालय क्षेत्र, सीपीएसई के प्रदर्शन और इसके कारोबारी माहौल के आधार पर दिशा–निर्देशों का अनुमोदन कर सकता है।

5. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णय को नोट कर लें और अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई को परामर्श दे।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 2(23)/07–डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल–IX, दिनांक 24 अगस्त, 2007)

*****